


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प: 370 से 375 - पापला खूद  
प्रकरण सं: 96/2018  
दिनांक:- 11.6.2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/ 1400

आदेश


वादी के वाद पत्र एवं पटवारी पापला खूद व भू.अ.नि. पापला कला  
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम भलखाडी  
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2071-74 में खाता संख्या 51 में  
वर्तमान में अशुद्ध प्रविष्टि कुंआ पुत्र जेठा के स्थान पर कुंआ उर्फ रावलाराम  
पुत्र जेठाराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी  
दिनांक:- 11/06/2018

क्रमांक:-लो.अदा./2018/ 1401-03

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में शमल दरमद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री कुंआ उर्फ रावलाराम निवासी भलखाडी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी